

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 308]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 7 जून 2018—ज्येष्ठ 17, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 7 जून 2018

क्र. एफ बी-1-23-2018-2-पांच (32).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) तथा (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 18 में, उप-नियम (21) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“(22) विनिर्माता इकाईयां, एफ.एल. 10-ए एवं एफ.एल. 10-बी अनुज्ञप्तिधारी, विदेशी मदिरा भाण्डागार में संग्रहीत विदेशी मदिरा स्पिरिट, वाईन और बीयर पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की गई दर पर, संग्रहण प्रभार के दायी होंगे:

परन्तु राज्य सरकार विदेशी मदिरा की किसी किस्म या प्रकार को संग्रहण प्रभार से छूट दे सकेगी.”

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 जून 2018

क्र. बी-1-23-2018-2-पांच, (32) .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-23-2018-2-पांच, (32), दिनांक 7 जून 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 7th June 2018

No. F. B-1-23-2018-2-V-(32).—In exercise of the powers conferred by clause (d) and (g) of sub section (2) of section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 18, after sub rule (21), the following sub-rule shall be added, namely:—

“(22) Manufacturing units, F. L. 10-A and F. L. 10-B licensees shall be liable to pay storage charge on foreign liquor spirit, wine and beer stored in foreign liquor warehouse at the rate fixed by the State Government from time to time:

Provided that the State Government may exempt any kind or type of foreign liquor from storage charge.”.

2. This notification shall deemed to have come into force from 1st April, 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ADITI KUMAR TRIPATHI, Dy. Secy.